कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 8254 /पटना, दिनांक 17.10.17

05/नि. अंके. अरा. पदा. स्था. – 04/2016

प्रेषित :–

श्री अनिल कुमार शर्मा,
पिता का नाम–श्री सुग्रीव शर्मा,
क्वार्टर नं.– डी.टी. 2949, पो.–धुर्वा,
जिला–राँची, झारखण्ड, पिन कोड–834004,
email ID- shailesh1985sharma@gmail.com

विषय :– **बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2407/2007 के आधार पर अनुशंसा के एक वर्ष पश्चात् नियुक्ति के अनुरोध पर आयोग की असहमति की सूचना के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपके आवेदन दिनांक 25.05.2017 तथा इस कार्यालय के पत्रांक 4461 दिनांक 01.06.2017 के क्रम में आयोग का पत्रांक 2683/आ. दिनांक 19.09.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपने प्रासंगिक आवेदन दिनांक 25.05.2017 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 4461 दिनांक 01.06.2017, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी दी गई थी, का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा आयोग की अनुशंसा सूची में आपके नाम की त्रुटि के संबंध में आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

तदालोक आयोग के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त त्रुटि टंकण भूल थी, तथा अनुशंसा सूची के क्रमांक 114 पर 'अनिक कुमार शर्मा' के स्थान पर 'अनिल कुमार शर्मा' पढ़ा जाय, परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रकाशित सूचना में अनुक्रमांक 11724102 को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें वे अनुपस्थित रहे। यह भी कि अभ्यर्थी के द्वारा आयोग की अनुशंसा के एक वर्ष बाद दिनांक 25.05.2017 को नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली–2003 के कंडिका–3(2) के अनुसार आयोग की अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिए अनुशंसा मान्य है। आयोग प्रेषित अनुशंसा को अगले एक वर्ष के लिए विधिमान्य करने पर असहमत है।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के विज्ञापन संख्या 2407/2007 के आधार पर की गई अनुशंसा आज की तिथि में विधिमान्य नहीं होने तथा अगले एक वर्ष के लिए अनुशंसा विधिमान्य करने पर आयोग की असहमति के संदर्भ में अंकेक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति की द्रिशा में इस कार्यालय के स्तर से अन्य कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जानी है।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन

16/9/17

(अखिलेश कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8254 /पटना, दिनांक 17.10.17

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/17

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

Node:5\E:\AKS Files\Audit Sec\New Auditor Appointment 2016\Auditor Appt..doc\Ashok.

पत्रांक–बि.क.च.आ.–प्र0–3 / परीक्षा(अंकेक्षक)–17 / 2012..... 2683/आ.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

प्रेषक,
सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।

सेवा में,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना ।

दिनांक– 19.9.2017

विषयः आयोग की अनुशंसा सूची के क्रमांक 114 पर अंकित अभ्यर्थी के नाम के संबंध में ।
प्रसंगः कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का पत्रांक–4461, दिनांक–01.06.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक–271 / आ0, दिनां–04.02.2016 द्वारा अनुशंसित मेधा सूची में क्रम सं0–114 पर टंकण भूल के कारण अभ्यर्थी "अनिल कुमार शर्मा" के स्थान पर "अनिक कुमार शर्मा" अंकित हो गया है। कृपया सूची के क्रम सं0–114 पर "अनिक कुमार शर्मा" के स्थान पर "अनिल कुमार शर्मा" पढ़ा जाय।

अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों के सत्यापन तथा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक–13.03.2016 को आपके विभाग द्वारा किया गया थां। जिसमें अनुक्रमांक–11724102 को दिनांक–06.04.2016 को आमंत्रित किया गया था, परन्तु वे अनुपस्थित रहे। श्री अनिल कुमार शर्मा (अनुक्रमांक–11724102) द्वारा अनुशंसा के एक वर्ष बाद आपके कार्यालय में दिनांक–25.05.2017 को नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली,2003 के कंडिका–3(2) के अनुसार आयोग की अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुशंसा मान्य है। आयोग प्रेषित अनुशंसा को अगले एक वर्ष के लिए विधिमान्य करने पर असहमत है।

श्री अनिल कुमार शर्मा (अनुक्रमांक–11742102) की नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार विधिसम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई करना यथोचित होगा।

विश्वासभाजन

19/9/2017
सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।